

छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल, रायपुर

(पूर्व नाम— छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)-492002

Phone No.- 0771-2972780, Website- vyapamcg.cgstate.gov.in, <https://cgssb.cgstate.gov.in>

क्रमांक / एस.एस.बी. / परीक्षा एफ-20 / 2026 / 2871

रायपुर, दिनांक 06/07/26


परीक्षा निर्देश

कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर के अंतर्गत नमूना सहायक / लैब असिस्टेंट (औषधि) / लैब असिस्टेंट (खाद्य) पदों की भर्ती परीक्षा (FWLN26)

1.	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि	-	07.07.2026 (मंगलवार)
2.	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	-	31.07.2026 (शुक्रवार) सायं 5:00 बजे तक
3.	त्रुटि सुधार	-	01.08.2026 से 03.08.2026, सायं 5:00 बजे तक
4.	परीक्षा की संभावित तिथि	-	20.09.2026 (रविवार)
5.	परीक्षा का समय	-	पूर्वाह्न 10:00 से 12:15 बजे तक
6.	वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की संभावित तिथि	-	11.09.2026 (शुक्रवार)
7.	परीक्षा केन्द्र	-	05 संभागीय जिला मुख्यालयों में

महत्वपूर्ण टीप -

- अभ्यर्थियों की सुविधा की दृष्टि से आवेदकों के प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की व्यवस्था पोर्टल पर की है। एक बार प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) करने के बाद परीक्षा विशेष के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को बार-बार व्यक्तिगत जानकारी नहीं भरनी होगी। यह जानकारी उनके प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) से स्वमेव आ जायेगी।
- ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी, शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक आदि सम्बंधी प्रमाण-पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण-पत्र का परीक्षण नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी के लिए CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा। आवेदन से सम्बंधित जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो, उसे सुधारने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात 03 दिवस का समय दिया गया है। इस दौरान अभ्यर्थी को त्रुटि सुधार स्वयं करना होगा।
- अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में भरी गई जानकारी के आधार पर ही जारी किया जायेगा। किसी भी स्तर पर CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) द्वारा कोई सुधार नहीं किया जायेगा।
- ऑनलाइन आवेदन करते समय, परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन को "SUBMIT" करने हेतु अनिवार्य रूप से "SUBMIT" बटन दबाएँ।
- छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी, जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं, उसका परीक्षा शुल्क CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) द्वारा वापस कर दिया जावेगा। परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाता में वापस किया जावेगा, जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन का परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक "SUBMIT" करने के बाद कृपया अभ्यर्थी इसका प्रिंट आउट अनिवार्य रूप से लें व अपने पास रखें।
- आवेदन भरने के पूर्व विभाग द्वारा जारी भर्ती नियमों को ध्यान से पढ़ें तथा पात्र होने पर ही आवेदन करें।
- वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in अथवा <https://cgssb.cgstate.gov.in> पर नया ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) फार्म भरने हेतु अभ्यर्थी अपना स्वयं का सामने से लिया हुआ हल्के रंग के बैकग्राउंड वाला फोटो .jpg/.jpeg फार्मेट में स्कैन कर कर फाइल के रूप में रखें। जिसका अधिकतम साइज 100 kb एवं न्यूनतम साइज 50 kb का हो, सेव कर रखें। (फाइल का नाम अल्फान्यूमेरिक में रखें, बीच में अंतराल तथा डॉट का प्रयोग न करें), साथ ही अभ्यर्थी अपने स्वयं के हस्ताक्षर का फोटो भी स्कैन कर कर


06 July 2026
Exam Controller
Chhattisgarh Staff Selection Board
Nava Raipur Atal Nagar

एक अलग .jpg/.jpeg फॉर्मेट में फाइल के रूप में रखें। जिसका अधिकतम साइज 100 kb एवं न्यूनतम साइज 50 kb का हो, सेव कर रखें।

10. परीक्षा शुल्क के सम्बंध में –

अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से करना है। छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ 5-20/2015/जन.नि./42 नया रायपुर, दिनांक 14.12.2015 के अनुपालन में व्यापम द्वारा जारी आदेश क्र./2830/स्था./व्यापम/2015/रायपुर, दिनांक 17.12.2015 अनुसार परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है।

सामान्य वर्ग	– रु. 350.00
अन्य पिछड़ा वर्ग	– रु. 250.00
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग	– रु. 200.00

छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर का पत्र क्र. क्रमांक RULE-8/2/2024-GAD-1 दिनांक 21.04.2025 के परिपालन में परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी परीक्षार्थी, जो परीक्षा में उपस्थित होंगे, उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि उसी बैंक खाता में वापस की जायेगी, जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है।

महत्वपूर्ण जानकारी

1. प्रोफाइल संबंधित जानकारी–

अभ्यर्थी द्वारा प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) में दी गई जानकारी के आधार पर ही ऑनलाइन आवेदन भर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ही CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) परीक्षा परिणाम तैयार करता है। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की जानकारी को अवश्य जाँच लें तदुपरांत ही ऑनलाइन आवेदन सबमिट करें।

2. पात्रता :-

आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय नियम देखें। केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय नियमों में दी गई शर्तें पूरी करते हों। मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता है।


3. ऑनलाइन आवेदन करने की विधि :-

ऑनलाइन आवेदन करने की विधि की जानकारी CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) वेबसाइट के “Instructions to fill the FORM” लिंक पर उपलब्ध है।

4. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की विधि :-

4.1 मूलभूत जानकारी में सुधार करने हेतु अभ्यर्थी को अपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) में सुधार करना होगा, तदुपरांत ही ऑनलाइन आवेदन में मूलभूत जानकारी सही दर्शित होगी। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् भी अतिरिक्त 03 दिवस का समय त्रुटि सुधार हेतु दिया गया है।

4.1 ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि अथवा निर्धारित समय सीमा में की गई त्रुटि सुधार के अनुसार ही CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) स्तर से प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा।



Exam Controller
Chattisgarh Staff Selection Board
Nava Raipur Atal Nagar

5. प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी :-

परीक्षा के लगभग 07 दिन पूर्व प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। अभ्यर्थी अपनी प्रोफाइल में जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा पश्चात् भी एडमिट कार्ड को संभालकर रखें। चयन प्रक्रिया के समय/सर्विस ज्वाइनिंग के समय इसे प्रस्तुत करना पड़ सकता है।

अभ्यर्थी संपूर्ण प्रवेश पत्र पूर्णतः डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लेकर परीक्षा केन्द्र में जायें। परीक्षार्थियों को डाकघर के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के सम्बंध में कठिनाई होती है तो हेल्पलाइन नंबर 0771-2972780 एवं मोबाइल नंबर 8269801982 पर समय प्रातः 10:00 से सायं 5:30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।


परीक्षा दिवस को प्रत्येक परीक्षार्थी कम से कम दो घंटे पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र में उपस्थित रहें, जिससे उनके मूल पहचान पत्र से उनका पहचान किया जा सके एवं फ्रिस्किंग (Frisking) के उपरांत परीक्षा केन्द्र में जाने हेतु अनुमति दी जा सके। यह उचित होगा कि, परीक्षार्थी परीक्षा दिवस से एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केन्द्र की भौगोलिक स्थिति से भलीभाँति परिचित हो जावें। प्रवेश पत्र पर अंकित समय के पश्चात् किसी को भी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश -

1. कृपया प्रवेश पत्र के सभी पेज का प्रिंट आउट लें और पेज के केवल एक तरफ प्रिंट करें। क्योंकि प्रत्येक परीक्षा हेतु CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) की प्रवेश पत्र की प्रति परीक्षा केन्द्र में जमा हो जाएगी।
2. परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र/झायविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड जिसमें अभ्यर्थी का फोटो हो, का एक मूल पहचान पत्र परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
3. परीक्षार्थी, परीक्षा के दिन, परीक्षा प्रारंभ समय से कम से कम 2 घंटा पहले परीक्षा केन्द्र में अनिवार्यतः उपस्थित रहे, जिससे परीक्षार्थी का सत्यापन एवं फ्रिस्किंग (Frisking) किया जा सके।
4. परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व मुख्य द्वार बंद कर दिया जावेगा। परीक्षा प्रारंभ होने का समय 10:00 बजे है, इसलिए **9:30 बजे मुख्य द्वार बंद कर दिया जावेगा।**
5. हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने जाए। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैंगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित होगा।
6. फुटवियर के रूप में चप्पल पहनें।
7. कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है।
8. परीक्षा के प्रथम आधा घंटा एवं आखिरी आधा घंटा में परीक्षा कक्ष से बाहर जाना वर्जित है।
9. परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है।
10. चयन/प्रवेश के समय प्रवेश पत्र मांगा जाता है, अतः इसे सुरक्षित रखें।
11. निर्देशों का पालन न करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित किया जायेगा। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त की जावेगी।
12. धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा। उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जाँच से गुजरना पड़ेगा तभी ऐसे पोशाक की अनुमति होगी।

6. हेल्प लाइन संबंधी जानकारी :-

ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की दिक्कत होने पर कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 से सायं 5:30 बजे (कार्यालयीन समय) के बीच 0771-2972780 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही अवकाश के दिनों में मोबाइल नंबर 8269801982 पर समय प्रातः 10:00 से सायं 5:30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।


06 July 2026
Exam Controller
Hattisgarh Staff Selection Board
Nava Raipur Atal Nagar

7. पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी :-

परीक्षा हेतु सम्बंधित विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) वेबसाइट के "Syllabus" लिंक पर उपलब्ध है।

8. परीक्षा कक्ष में प्रवेश :-

परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी केवल निम्नलिखित सामग्री लाएं -

- (1) प्रवेश पत्र
- (2) काला या नीला बाल पॉइंट पेन
- (3) फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र/झायविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड आदि की मूलप्रति


फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

9. परीक्षा पद्धति एवं मूल्यांकन पद्धति :-

- 9.1 प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर तीन समान बार कोड स्टिकर संलग्न हैं। परीक्षार्थी एक बार कोड स्टिकर को ओ.एम.आर. शीट पर, दूसरे बार कोड स्टिकर को प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर व तीसरे बार कोड स्टिकर को उपस्थिति पत्रक पर सावधानीपूर्वक इंगित स्थान पर अवश्य चिपकायें।
- 9.2 प्रश्नपत्र में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न में 01 अंक देय होगा। अभ्यर्थियों को इन प्रश्नों को हल करने हेतु 02:00 घंटे का समय दिया जावेगा। दिए गये प्रश्नों के चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन करना होगा। सही विकल्प पर उत्तरशीट(OMR) में नीले/काले डॉट पेन से गोला को पूर्णतः भरना होगा। गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान है तदनुसार नियत अंक का 1/4 अंक काटा जाएगा। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किये जायेंगे उनके लिए शून्य (zero) अंक प्रदान किया जाएगा। परीक्षार्थी केवल एक विकल्प पर ही गोला अंकित करें।

10. दावा/आपत्ति का निराकरण :-

- 10.1 CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) वेबसाइट पर दावा आपत्ति हेतु परीक्षार्थी को अपना पंजीयन क्रमांक (प्रोफाइल आई डी) एवं जन्म तिथि डालकर लॉगिन करना होगा और निर्देशानुसार दावा आपत्ति दर्ज करानी होगी।
- 10.2 परीक्षा उपरांत CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) द्वारा जारी मॉडल उत्तर पर यदि परीक्षार्थी को आपत्ति हो तो नियत अवधि के भीतर सप्रमाण दावा/आपत्ति (किसी गाइड बुक का प्रमाण मान्य नहीं होगा) दर्ज करना होगा।
- 10.3 ऑनलाइन दावा-आपत्ति दर्ज करने हेतु परीक्षार्थी को प्रति प्रश्न रु. 50/- शुल्क (ऑनलाइन के माध्यम से) देना होगा। शुल्क भुगतान के बिना दावा-आपत्ति मान्य नहीं होगा।
- 10.4 डाक/ई-मेल द्वारा या CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 10.5 दावा आपत्ति दर्ज कराने की विस्तृत प्रक्रिया का मेनुअल वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- 10.6 दावा आपत्ति करने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिये जाने वाले की सॉफ्ट कॉपी अपलोड हेतु तैयार रखें एवं आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी पावती डाउनलोड अवश्य कर लें।
- 10.7 बिना प्रमाण का दावा/आपत्ति को अमान्य किया जावेगा।
- 10.8 प्रत्येक प्रश्न का दावा/आपत्ति अलग-अलग प्रस्तुत करना होगा। एक साथ एक से अधिक प्रश्नों पर दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने पर अमान्य किया जायेगा।
- 10.9 प्राप्त दावा/आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा निराकरण किया जाता है। परीक्षण पश्चात् विषय विशेषज्ञों द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। तदनुसार अंतिम उत्तर तैयार किया जाएगा।
- 10.10 अंतिम उत्तर के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं (ओ.एम.आर.) का मूल्यांकन किया जाएगा।


Exam Controller
Chhattisgarh Examinations Board
Nava Patil, Nava Nager

10.11 परीक्षा परिणाम के साथ अंतिम उत्तर जारी किया जाएगा। अंतिम उत्तर पर किसी भी प्रकार का पुनः दावा/आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।

11. त्रुटिपूर्ण प्रश्न का विलोपन के सम्बंध में-

1. प्रश्न की संरचना गलत है,
2. कोई भी विकल्प सही नहीं है,
3. किसी प्रश्न के हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतरण में अंतर है, जिसके कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हैं तदनुसार एक भी विकल्प सही नहीं है।
4. मुद्रण त्रुटि है, जिससे सही उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है।

नोट :- विलोपित प्रश्न पर सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से उस प्रश्न पर आबंटित अंक, बोनस अंक के रूप में प्रदान किया जायेगा।

12. किसी प्रश्न के एक से अधिक सही विकल्प होने की स्थिति में विषय-विशेषज्ञों के निर्णय अनुसार सभी सही विकल्प मान्य होंगे।

13. परीक्षा परिणाम :-

संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर प्राप्तांक घोषित की जावेगी। अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in अथवा <https://cgssb.cgstate.gov.in> पर देख सकते हैं तथा प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं।

14. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन :-


CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) द्वारा उत्तरशीट (ओ.एम.आर.) का मूल्यांकन ओ.एम.आर. मशीन से किया जाता है, अतः पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

15. क्षेत्राधिकार (JURISDICTION) :-

CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित है। दस्तावेज परीक्षण एवं सत्यापन/चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) द्वारा नहीं किया जाता है।

16. CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) द्वारा जारी परीक्षा जिला कोड तथा समन्वयक केन्द्रों के नाम -

क्र.	जिला का नाम	जिला कोड	महाविद्यालय का नाम	दूरभाष नंबर
1	सरगुजा (अम्बिकापुर)	11	राजीव गांधी शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, अम्बिकापुर	07774-230921
2	बिलासपुर	13	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव, स्नातकोत्तर विज्ञान महा., बिलासपुर	07752-246430
3	दुर्ग	16	विश्वनाथ तामस्कर शासकीय कला एवं विज्ञान महा., दुर्ग	0788-2211688
4	जगदलपुर (बस्तर)	17	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर	07782-229340
5	रायपुर	25	शासकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	0771-2263131


06 July 2026
परीक्षा नियंत्रक

छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल
रायपुर



कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-1, चतुर्थ तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
☎ 0771-2235226 ☎ 2511988 ✉ controllerraipur@gmail.com

क्रमांक / ESTB-101/49/2025-SECTION(CFDA)

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक

// विस्तृत विज्ञापन //

कार्यालय का नाम:- कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
पद का नाम:- नमूना सहायक

छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्र एफ 1-16/2021/17-2 (पार्ट) दिनांक 05.03.2025 से वित्त विभाग के जावक क्र 217 दिनांक 28.01.2025 द्वारा नमूना सहायक के कुल 30 रिक्त पद को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने की स्वीकृति प्राप्त है। इन पदों की सीधी भर्ती के लिये छ.ग. के स्थानीय निवासियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर के वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर आमंत्रित किये जायेंगे। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

राज्य स्तर पर मैदानी क्षेत्र हेतु हेतु सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्गवार आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतनमान
	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अ ना	अ जा	अ. ज. जा	अ. पि. व.	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा	अ. पि. व.			
1 नमूना सहायक	09	05	13	03	2	1	3	0	0	0	1	0	2 (1 LV, 1HH)	30	5200- 20200+ 1900 लेवल 4

प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ:- LV= कम दृष्टि, HH= उँचा सुनने वाला

नोट:- समस्त विज्ञापित पदों के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी नीति-निर्देशों के अनुरूप महिलाओं के 30 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज एवं प्रभागवार (Horizontal and Compartment wise) एवं दिव्यांगजनों के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रहेगा।

भर्ती के संबंध में दिशा-निर्देश

1.0. पदों से संबंधित नियम एवं शर्तें, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की विधि, परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश विस्तृत विज्ञापन में व्यापम के वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in में पृथक से अपलोड की जावेगी।

- 1.1 उपरोक्त नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 में जारी निर्देशानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 अंतिम आदेश/निर्णय के अधधीन होगी।
- 1.2 रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- 1.3 त्रुटि सुधार के लिए हार्ड कॉपी/सॉफ्ट कॉपी में भेजा गया कोई भी आवेदन व्यापम द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र एवं ओ.एम.आर. उत्तरशीट की प्रविष्टियों में अंतर पाये जाने पर उत्तरशीट की प्रविष्टियों के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा। परीक्षा के दिन उत्तरशीट में श्रेणी, वर्ग, जन्म तिथि आदि में की गई प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किये जायेंगे। परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार संबंधी कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 1.4 आवेदन पत्र भरने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़े तथा सेम्पल फार्म (नमूना आवेदन पत्र) का अवलोकन करने के पश्चात् ही ऑनलाईन आवेदन भरलरा सुनिश्चित करें।

02. आयु सीमा:-

- 2.1 दिनांक 01 जनवरी 2025 को आवेदक उपरोक्त तालिका में उल्लेखित न्यूनतम आयु पूर्ण कर लिये हो तथा अधिकतम आयु पूर्ण न किये हो। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जावेगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी अर्थात् छ.ग. के अभ्यर्थी 35 वर्ष की आयु तक अर्ह माने जायेंगे।
- 2.2 यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- 2.3 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- 2.4 छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा समय-समय पर शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना अनुसार शिथिलनीय होगी।

03. शैक्षणिक अर्हता/वेतनमान एवं अन्य विवरण:-

क्र.	पदनाम	वेतनमान+ग्रेड पे	आयु सीमा		शैक्षणिक अर्हता एवं तकनीकी योग्यता
मैदानी क्षेत्र					
1	नमूना सहायक	5200-20200+1900 लेवल 4	18 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से विज्ञान संकाय (रसायन विज्ञान सहित) में हायर सेकेंडरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।





05. परीक्षा पद्धति:-

विज्ञापित पदों हेतु 100 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसकी समयावधि 2.00 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसके चार विकल्प में से एक विकल्प सही होगा, सही विकल्प पर उत्तरशीट में नीले/काले डॉट पेन से गोल लگانा होगा।

06. मूल्यांकन पद्धति:-

समस्त पदों हेतु प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिये जायेंगे। ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति होने के कारण प्रत्येक गलत उत्तर अंकित करने पर 1/4 अंक काट लिया जायेगा।

07. भर्ती के नियम एवं शर्तें :-

7.1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो:-

(अ) पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

(ब) जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाये।

(स) जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

7.2. यह सुनिश्चित करने का दायित्व आवेदक के स्वयं का होगा कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं को पूर्ण करते हो। अतः आवेदन करने से पहले उम्मीदवार अपनी अर्हताओं की जांच स्वयं कर लें एवं अर्हताओं की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी।

7.3. व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जावेगी।


7.4. इन पदों की सीधी भर्ती के लिये छ.ग. के स्थानीय निवासियों से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।


7.5. इन पदों पर भर्ती हेतु उपयुक्त दिव्यांगता की श्रेणी में LV, OL, HH, LC, AAV को चिन्हांकित किया गया है।


08. नियुक्ति हेतु चयन विधि:-


8.1. उपरोक्त पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर (छ.ग.) द्वारा आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट निर्धारित की जायेगी।

8.2. योग्य उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर विभागीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच (सत्यापन) का कार्य कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) द्वारा नियुक्ति के पूर्व कराया जायेगा। प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उम्मीदवार का चयन निरस्त किया जा सकेगा।










- 8.3. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा राजनैतिक दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं चयन के किसी भी स्तर पर उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जावेगी।
- 8.4. आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्ति रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता अन्य आवश्यक प्रक्रिया/प्रशिक्षण/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।
- 8.5. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता दी जायेगी, जिन अभ्यर्थियों की उम्र अधिक होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जावेगी।
- 8.6. चयन हेतु आयोजित किसी भी स्तर की निर्धारित परीक्षाओं हेतु उम्मीदवारों को परिवहन एवं अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
- 8.7. उपरोक्त पदों पर भर्ती के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ को होगा।
- 8.8. चयन प्रक्रिया व पदस्थापना पूर्व आवेदक की अर्हता एवं अन्य शर्तें उपयुक्त नहीं पाये जाने पर चयन/नियुक्ति से निरस्त करने का अधिकार नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ को होगा।
- 8.9. पदों का आरक्षण शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा।
- 8.10. उक्त पद हेतु प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जिसकी वैधता सूची जारी किये गये दिनांक से एक वर्ष तक के लिए रहेगी।
- 8.11. शासकीय सेवा/मान्यता प्राप्त संस्था में कार्यरत आवेदक को नियोक्ता अधिकारी से चयन के पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 8.12. नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह बिना किसी कारण बताये चयन प्रक्रिया को निरस्त कर सकता है।
- 8.13. यदि किसी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने के कारण रिक्त रह जाता है तो ऐसे रिक्त पद अग्रणित (कैरिफार्वर्ड) नहीं किये जायेंगे वरन उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, जिस प्रवर्ग के लिए आरक्षित है।
- 8.14. भर्ती से संबंधित समय-समय पर शासन द्वारा जारी निर्देश स्वतः लागू होंगे।
- 8.15. सेवा में सीधी भर्ती से चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को 03 वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा।
- 8.16. चयनित उम्मीदवारों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड के स्वास्थ्यता (फिटनेस) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जायेगा।
- 8.17. चयनित उम्मीदवारों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् विभाग द्वारा पुलिस वेरीफिकेशन (चरित्र सत्यापन) कराया जायेगा।

नोट:- परीक्षा संचालन संबंधी व्यापम को नियम तथा परीक्षा पाठ्यक्रम व्यापम की वेबसाइट <https://vyapamcg.cgstate.gov.in> पर देखा जा सकता है।









क्रमांक / ESTB-101/49/2025-SECTION(CFDA)

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक

// विस्तृत विज्ञापन //

कार्यालय का नाम:- कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
 पद का नाम:- लैब असिस्टेंट (औषधि)

छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्र एफ 1-16/2021/17-2 दिनांक 31.01.2025 से वित्त विभाग के जावक क्र 126 दिनांक 15.01.2025 द्वारा लैब असिस्टेंट (औषधि) के कुल 03 रिक्त पद को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने की स्वीकृति प्राप्त है। इन पदों की सीधी भर्ती के लिये छ.ग. के स्थानीय निवासियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर के वेबसाईट vyapamcg.cgstate.gov.in पर आमंत्रित किये जायेंगे। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

02. राज्य स्तर पर औषधि परीक्षण प्रयोगशाला हेतु सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्गवार आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतनमान	
	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अ. ना जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अ. ना जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अ. ना जा.	अ. ज. जा.				अ. पि. व.
1 लैब असिस्टेंट (औषधि)	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5200-20200+1900 लेवल 4

नोट:- समस्त विज्ञापित पदों के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी नीति-निर्देशों के अनुरूप महिलाओं के 30 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज एवं प्रभागवार (Horizontal and Compartment wise) एवं दिव्यांगजनों के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रहेगा।

भर्ती के संबंध में दिशा-निर्देश

1.0. पदों से संबंधित नियम एवं शर्तें, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की विधि, परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश विस्तृत विज्ञापन में व्यापम के वेबसाईट vyapamcg.cgstate.gov.in में पृथक से अपलोड की जावेगी।

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

//2//

- 1.1 उपरोक्त नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 में जारी निर्देशानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 अंतिम आदेश/निर्णय के अधधीन होगी।
- 1.2 रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- 1.3 त्रुटि सुधार के लिए हार्ड कॉपी/सॉफ्ट कॉपी में भेजा गया कोई भी आवेदन व्यापम द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र एवं ओ.एम.आर. उत्तरशीट की प्रविष्टियों में अंतर पाये जाने पर उत्तरशीट की प्रविष्टियों के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा। परीक्षा के दिन उत्तरशीट में श्रेणी, वर्ग, जन्म तिथि आदि में की गई प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किये जायेंगे। परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार संबंधी कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 4 आवेदन पत्र भरने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़े तथा सेम्पल फार्म (नमूना आवेदन पत्र) का अवलोकन करने के पश्चात् ही ऑनलाईन आवेदन भरलरा सुनिश्चियम करे।

02. आयु सीमा:-

- 2.1 दिनांक 01 जनवरी 2025 को आवेदक उपरोक्त तालिका में उल्लेखित न्यूनतम आयु पूर्ण कर लिये हो तथा अधिकतम आयु पूर्ण न किये हो। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जावेगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी अर्थात् छ.ग. के अभ्यर्थी 35 वर्ष की आयु तक अर्ह माने जायेंगे।
- 2.2 यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- 2.3 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- 2.4 छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा समय-समय पर शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना अनुसार शिथिलनीय होगी।

03. शैक्षणिक अर्हता/वेतनमान एवं अन्य विवरण:-

क्र.	पदनाम	वेतनमान+ग्रेड पे	आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता एवं तकनीकी योग्यता
औषधि परीक्षण प्रयोगशाला				
1	लैब असिस्टेंट (औषधि)	5200-20200+1900 लेवल 4	18 वर्ष 30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से विज्ञान संकाय (रसायन विज्ञान सहित) में हायर सेकेण्डरी (1+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

05. परीक्षा पद्धति:-

विज्ञापित पदों हेतु 100 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसकी समयावधि 2.00 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसके चार विकल्प में से एक विकल्प सही होगा, सही विकल्प पर उत्तरशीट में नीले/काले डॉट पेन से गोला लगाना होगा।

06. मूल्यांकन पद्धति:-

समस्त पदों हेतु प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिये जायेंगे। ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति होने के कारण प्रत्येक गलत उत्तर अंकित करने पर 1/4 अंक काट लिया जायेगा।

07. भर्ती के नियम एवं शर्तें :-

7.1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो:-

(अ) पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है; तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

(ब) जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाये।

(स) जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

7.2. यह सुनिश्चित करने का दायित्व आवेदक के स्वयं का होगा कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं को पूर्ण करते हो। अतः आवेदन करने से पहले उम्मीदवार अपनी अर्हताओं की जांच स्वयं कर ले एवं अर्हताओं की समस्त शर्तों के पूरा करने पर ही आवेदन करे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी।

7.3. व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जावेगी।

7.4. इन पदों पर सीधी भर्ती के लिये छ.ग. के स्थानीय निवासी ही आवेदन के लिए पात्र होंगे।

7.5. इन पदों पर भर्ती हेतु उपयुक्त दिव्यांगता की श्रेणी में DW, OL, HH, BL, AAV को चिह्नंकित किया गया है।

08. नियुक्ति हेतु चयन विधि:-

8.1. उपरोक्त पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर (छ.ग.) द्वारा आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट निर्धारित की जायेगी।

8.2. योग्य उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर विभागीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच (सत्यापन) का कार्य कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) द्वारा नियुक्ति के पूर्व कराया जायेगा। प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उम्मीदवार का चयन निरस्त किया जा सकेगा।



- 8.3. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा राजनैतिक दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं चयन के किसी भी स्तर पर उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जावेगी।
- 8.4. आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्ति रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता अन्य आवश्यक प्रक्रिया/प्रशिक्षण/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।
- 8.5. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता दी जायेगी, जिन अभ्यर्थियों की उम्र अधिक होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जावेगी।
- 8.6. चयन हेतु आयोजित किसी भी स्तर की निर्धारित परीक्षाओं हेतु उम्मीदवारों को परिवहन एवं अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
- 8.7. उपरोक्त पदों पर भर्ती के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ को होगा।
- 8.8. चयन प्रक्रिया व पदस्थापना पूर्व आवेदक की अर्हता एवं अन्य शर्तें उपयुक्त नहीं पाये जाने पर चयन/नियुक्ति से निरस्त करने का अधिकार नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ को होगा।
- 8.9. पदों का आरक्षण शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा।
- 8.10. उक्त पद हेतु प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जिसकी वैधता सूची जारी किये गये दिनांक से एक वर्ष तक के लिए रहेगी।
- 8.11. शासकीय सेवा/मान्यता प्राप्त संस्था में कार्यरत आवेदक को नियोक्ता अधिकारी से चयन के पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 8.12. नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह बिना किसी कारण बताये चयन प्रक्रिया को निरस्त कर सकता है।
- 8.13. यदि किसी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने के कारण रिक्त रह जाता है तो ऐसे रिक्त पद अग्रणीत (कैरिफार्वर्ड) नहीं किये जायेंगे वरन उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, जिस प्रवर्ग के लिए आरक्षित है।
- 8.14. भर्ती से संबंधित समय-समय पर शासन द्वारा जारी निर्देश स्वतः लागू होंगे।
- 8.15. सेवा में सीधी भर्ती से चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को 03 वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा।
- 8.16. चयनित उम्मीदवारों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड के स्वास्थ्यता (फिटनेस) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जायेगा।
- 8.17. चयनित उम्मीदवारों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् विभाग द्वारा पुलिस वेरीफिकेशन (चरित्र सत्यापन) कराया जायेगा।

नोट:- परीक्षा संचालन संबंधी व्यापम को नियम तथा परीक्षा पाठ्यक्रम व्यापम की वेबसाइट <https://vyapamcg.state.gov.in> पर देखा जा सकता है।

(Signature)

(Signature)

(Signature)

क्रमांक / ESTB-101/49/2025-SECTION(CFDA)

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक

// विस्तृत विज्ञापन //

कार्यालय का नाम:— कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
पद का नाम:— लैब असिस्टेंट (खाद्य)

छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्र एफ 1-16/2021/17-2 दिनांक 31.01.2025 से वित्त विभाग के जावक क्र 126 दिनांक 15.01.2025 द्वारा कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के अधीन राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला हेतु सीधी भर्ती के कुल 33 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अनुमति प्राप्त है, जिनमें से लैब असिस्टेंट (खाद्य) के कुल 03 रिक्त पद को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना है। इन पदों की सीधी भर्ती के लिये छ.ग. के स्थानीय निवासियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर के वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर आमंत्रित किये जायेंगे। पदों का विवरण निम्नानुसार है:—

02. राज्य स्तर पर खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला हेतु सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों का विवरण निम्नानुसार है :—

पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्गवार आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतनमान
	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अ. ना	अ. जा	अ. ज. जा	अ. पि. व.	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा	अ. पि. व.			
1 लैब असिस्टेंट (खाद्य)	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5200-20200+ 1900 लेवल 4

नोट:— समस्त विज्ञापित पदों के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी नीति-निर्देशों के अनुरूप महिलाओं के 30 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज एवं प्रभागवार (Horizontal and Compartment wise) एवं दिव्यांगजनों के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रहेगा।

भर्ती के संबंध में दिशा-निर्देश

1.0. पदों से संबंधित नियम एवं शर्तें, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की विधि, परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश विस्तृत विज्ञापन में व्यापम के वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in में पृथक से अपलोड की जावेगी।

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- 1.1 उपरोक्त नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 में जारी निर्देशानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर ए.एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगी।
- 1.2 रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- 1.3 त्रुटि सुधार के लिए हार्ड कॉपी/सॉफ्ट कॉपी में भेजा गया कोई भी आवेदन व्यापम द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र एवं ओ.एम.आर. उत्तरशीट की प्रविष्टियों में अंतर पाये जाने पर उत्तरशीट की प्रविष्टियों के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा। परीक्षा के दिन उत्तरशीट में श्रेणी, वर्ग, जन्म तिथि आदि में की गई प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किये जायेंगे। परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार संबंधी कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 1.4 आवेदन पत्र भरने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़ें तथा सेम्पल फार्म (नमूना आवेदन पत्र) का अवलोकन करने के पश्चात् ही ऑनलाईन आवेदन भरलरा सुनिश्चित करें।

02. आयु सीमा:-

- 2.1 दिनांक 01 जनवरी 2025 को आवेदक उपरोक्त तालिका में उल्लेखित न्यूनतम आयु पूर्ण कर लिये हो तथा अधिकतम आयु पूर्ण न किये हो। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जावेगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी अर्थात् छ.ग. के अभ्यर्थी 35 वर्ष की आयु तक अर्ह माने जायेंगे।
- 2.2 यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- 2.3 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- 2.4 छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा समय-समय पर शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना अनुसार शिथिलनीय होगी।

03. शैक्षणिक अर्हता/वेतनमान एवं अन्य विवरण:-

क्र.	पदनाम	वेतनमान+ग्रेड पे	आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता एवं तकनीकी योग्यता
औषधि परीक्षण प्रयोगशाला				
1	लैब असिस्टेंट (खाद्य)	5200-20200+1900 लेवल 4	18 वर्ष 30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से विज्ञान संकाय (रसायन विज्ञान सहित) में हायर सेकेण्डरी (1+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।





05. परीक्षा पद्धति:-

विज्ञापित पदों हेतु 100 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसकी समयावधि 2.00 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसके चार विकल्प में से एक विकल्प सही होगा, सही विकल्प पर उत्तरशीट में नीले/काले डॉट पेन से गोला लगाना होगा।

06. मूल्यांकन पद्धति:-

समस्त पदों हेतु प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिये जायेंगे। ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति होने के कारण प्रत्येक गलत उत्तर अंकित करने पर 1/4 अंक काट लिया जायेगा।

07. भर्ती के नियम एवं शर्तें :-

7.1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो:-

(अ) पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

(ब) जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाये।

(स) जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

7.2. यह सुनिश्चित करने का दायित्व आवेदक के स्वयं का होगा कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं को पूर्ण करते हों। अतः आवेदन करने से पहले उम्मीदवार अपनी अर्हताओं की जांच स्वयं कर ले एवं अर्हताओं की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी।

7.3. व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जावेगी।


7.4. इन पदों पर सीधी भर्ती के लिये छ.ग. के स्थानीय निवासी ही आवेदन के लिए पात्र होंगे।

7.5. इन पदों पर भर्ती हेतु उपयुक्त दिव्यांगता की श्रेणी में DW, OL, HH, BL, AAV को चिन्हांकित किया गया है।

08. नियुक्ति हेतु चयन विधि:-

8.1. उपरोक्त पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर (छ.ग.) द्वारा आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट निर्धारित की जायेगी।

8.2. योग्य उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर विभागीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच (सत्यापन) का कार्य कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) द्वारा नियुक्ति के पूर्व कराया जायेगा। प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उम्मीदवार का चयन निरस्त किया जा सकेगा।



- 8.3. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा राजनैतिक दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं चयन के किसी भी स्तर पर उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जावेगी।
- 8.4. आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्ति रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता अन्य आवश्यक प्रक्रिया/प्रशिक्षण/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।
- 8.5. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता दी जायेगी, जिन अभ्यर्थियों की उम्र अधिक होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जावेगी।
- 8.6. चयन हेतु आयोजित किसी भी स्तर की निर्धारित परीक्षाओं हेतु उम्मीदवारों को परिवहन एवं अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
- 8.7. उपरोक्त पदों पर भर्ती के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ को होगा।
- 8.8. चयन प्रक्रिया व पदस्थापना पूर्व आवेदक की अर्हता एवं अन्य शर्तें उपयुक्त नहीं पाये जाने पर चयन/नियुक्ति से निरस्त करने का अधिकार नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ को होगा।
- 8.9. पदों का आरक्षण शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा।
- 8.10. उक्त पद हेतु प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जिसकी वैधता सूची जारी किये गये दिनांक से एक वर्ष तक के लिए रहेगी।
- 8.11. शासकीय सेवा/मान्यता प्राप्त संस्था में कार्यरत आवेदक को नियोक्ता अधिकारी से चयन के पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 8.12. नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह बिना किसी कारण बताये चयन प्रक्रिया को निरस्त कर सकता है।
- 8.13. यदि किसी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने के कारण रिक्त रह जाता है तो ऐसे रिक्त पद अग्रणित (कैरिफार्वर्ड) नहीं किये जायेंगे वरन उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, जिस प्रवर्ग के लिए आरक्षित है।
- 8.14. भर्ती से संबंधित समय-समय पर शासन द्वारा जारी निर्देश स्वतः लागू होंगे।
- 8.15. सेवा में सीधी भर्ती से चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को 03 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा।
- 8.16. चयनित उम्मीदवारों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड के स्वास्थ्यता (फिटनेस) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जायेगा।
- 8.17. चयनित उम्मीदवारों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् विभाग द्वारा पुलिस वेरीफिकेशन (चरित्र सत्यापन) कराया जायेगा।

नोट:- परीक्षा संचालन संबंधी व्यापम को नियम तथा परीक्षा पाठ्यक्रम व्यापम की वेबसाइट <https://vyapamcg.cgstate.gov.in> पर देखा जा सकता है।





